नगर पंचायत सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2007 से 03/2012 तक

भाग–एक

1 (क) प्रारम्भिक :–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों/पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत सरकाघाट के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रधान व सचिव आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत रहेः–

प्रधान

क्रम सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती उर्मिला धीमान	1.4.2007 से 30.1.2011
2	श्रीमती निशा ठाकुर	31.01.11 से लगातार

सचिव

क्रम सं0	नाम	अवधि
1	श्री चूड़ा मणि (नायब तहसीलदार officiating)	1.4.07 से 11.06.07
2	श्री ओम प्रकाश शर्मा	12.06.07 से 11.06.011
3	श्री अशोक शर्मा	13.06.11 से लगातार

2 गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्रम संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	गृहकर, दुकानों का किराया इत्यादि की आय वसूली योग्य शेष।	9 (ख)	42.65
2	गृहकर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने के कारण आर्थिक क्षति	9 (घ)	2.43
3	निर्धारित दरों पर गृह करों की मांग न करने के कारण हुई वित्तीय हानि	9 (ङ)	11.81
4	खोखो व रेहड़ियों के किराये की कम वसूली के कारण वित्तीय हानि	9.8	7.54
5	गलत वेतन निर्धारण के कारण अनुचित/अधिक भुगतान	10 (ख)	0.36
6	भण्डार से सीमेन्ट जारी न करने तथा मार्केट रेट पर भुगतान करने के कारण अधिक भुगतान	11 (च)	0.25
7	आयकर व बिक्री कर की कटौती न करने के कारण सरकार को आर्थिक क्षति	11 (झ)	0.22
8	एग्रीमेन्ट में प्रावधान न होने पर ठेकेदार को पत्थर ढुलाई के रूप मे अनियमित भुगतान	11 (ञ)	0.74
9	रेहन बसेरा के निर्माण कार्य हेतु जमा की राशि को लोक निर्माण विभाग से वसूल न करना।	11.11 (ख)	4.50

3 <u>गत अंकेक्षण प्रतिवेदन</u> :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "A" पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करना सुनिश्चित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

4 वर्तमान अंकेक्षण :–

नगर पंचायत सरकाघाट, जिला मण्डी के अवधि 04/2007 से 03/2012 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण/जॉच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये है, सर्व श्री तारा चन्द महन्त, सहायक नियन्त्रक, श्री राजवीर सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री नरेन्द्र कुमार (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 17.12.12 से 28.01.13 तक के दौरान नगर पंचायत के कार्यालय सरकाघाट में सम्पन्न किया गया। विस्तृत जॉच हेतु निम्न विवरणानुसार महीनों का चयन किया गयाः–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	चयनित माह (आय)	चयनित माह (व्यय)
1	2007–08	03/2008	4/2007
2	2008–09	03/2009	02/2009
3	2009–10	03/2010	01/2010
4	2010–11	03/2011	03/2011
5	2011–12	03/2012	12/2011

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति को नियन्त्रण अधिकारी, नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना जो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल अंकेक्षण के लिये चयनित किये गये महीनों तक ही सीमित है।

5 अंकेक्षण शुल्क :–

नगर पंचायत के लेखाओं का (अवधि 04/2007 से 03/2012 तक) अंकेक्षण शुल्क ₹48000/–आंका गया, जिसे राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु, सचिव/नियन्त्रण अधिकारी, नगर पंचरायत से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 168 दिनांक 28.01.13 द्वारा अनुरोध किया गया।

6 <u>वित्तीय स्थिति</u> :–

सचिव, नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख अनुसार अवधि 04/2007 से 03/2012 के दौरान नगर पंचायत के लेखाओं (अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय व अनुदान राशियां) का रख रखाव सम्मिलित रूप में एक ही रोकड़ वही में किया गया था, जिसकी वित्तीय स्थिति एवं बैंक समाधान विवरणिका का ब्यौरा निम्न प्रकार से दिया गया है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान खातों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

वर्ष	गतशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त आय	कुल राशि	वर्ष में खर्च	अन्तशेष
2007–08	4591938.65	4420317.00	9012255.65	4383784.00	4628471.65
2008–09	4628471.65	8171288.00	12799759.65	5619902.00	7179857.65
2009–10	7179857.65	9951230.00	17131087.65	11172554.00	5958533.65
2010–11	5958533.65	23400345.00	29358878.65	7127853.00	22231025.65
2011–12	22231025.65	53940063.00	76171088.65	25287277.00	50883811.65

दिनांक 31.03.2012 को वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ वही का जितना अन्तशेष होना चाहिए था राशिः–	50883811.65
संस्था की रोकड़ वही के अनुसार 31.03.2012 को अन्तशेष	50882153.00
अन्तर की राशि	1658.65
दिनांक 31.03.2012 को अन्तशेष का विवरण	
बैंक में बचत खातों का अन्तशेष (परिशिष्ट B)	49016551.30
बैंक में सावधि जमा खातों का अन्तशेष (परिशिष्ट B)	2160599.00
कुल जमा राशि	51177150.30

<u>बैंक समाधान विवरणः–</u>

	विवरण	राशि
	दिनांक 31.03.2012 को वित्तीय स्थिति का अन्तशेष	50883811.65
घटायें	दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही के अन्तशेष व वित्तीय स्थिति के अन्तशेष में पाया गया अन्तर (50883811.65–50882153.65)	1658.65

	दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही का अन्तशेष	50882153.00
जमा	चैक जारी किए गए लेकिन 31.3.2012 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए (350+3792+8050)	12192.00
जमा	भवन का किराया बैंक में 22.3.2012 को जमा किया गया था लेकिन रोकड़ वही में 31.3.2012 तक दर्ज नहीं किया गया।	19140.00
जमा	बैंक द्वारा बचत खातों में क्रेडिट किया गया ब्याज रोकड़ वही में दिनांक 31.3.2012 तक दर्ज नहीं किया गया (परिशिष्ट–C)	204679.30
जमा	बैंक में SJSRY ग्रांट दिनांक 26.3.2012 को क्रेडिट की गई थी लेकिन रोकड़ वही में दिनांक 31.3.2012 तक दर्ज नहीं की गई।	70000.00
घटाएं	बैंक व्यय जो दिनांक 26.3.2012 को बैंक द्वारा डेबिट किए गए लेकिन रोकड़ वही में दर्ज नहीं किए गए	12.00
घटाएं	FDR"s संख्या–1029 पर दिनांक 15.5.2010 को प्राप्त ब्याज रोकड़ वही पर गलती से दो बार दर्ज कर दिया गया।	1002.00
घटाएं	दिनांक 31.3.2012 को हस्त शेष राशि	10000.00
	बैंक खाते में अन्तशेष का विवरण	
	दिनांक 31.3.2012 को बचत खातों व सावधि जमा खातों में अन्तशेष	51177150.30

नोटः– Own Sources income तथा Grants की अलग–2 वित्तीय स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट –D पर दी गई है।

6 (क) बैंक खातों के रख–रखाव के बारे में:–

रोकड़ वही एवं बैंक खातों के मिलान में यह पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.12 तक विभिन्न बैंकों में कुल 13 खातों में राशि जमा की गई थी, जिनमें इस तथ्य का स्पष्टतः अभाव था कि विभिन्न शीर्षकों (Own Sources एवं Grants) की प्राप्त आय कौन से खाते में जमा की गई थी तथा विभिन्न शीर्षकों का व्यय कौन से खाते से किया गया था, जिससे उपरोक्त विभिन्न शीर्षकों की अलग–2 वित्तीय स्थिति एवं बैंक समाधान विवरण का प्रारूपण नहीं किया जा सकता। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान खातों को बन्द/इकटठा करके उक्त शीर्षकों हेतु अलग–2 दो ((i) own sources (ii) Grants) खाते खुलवाये

जायें तथा रोकड़ वही से उक्त शीर्षकों की राशि की सही गणना उपरान्त, सम्बन्धित खातों में हस्तान्तरण की जाये तथा भविष्य में सम्बन्धित शीर्षक की आय–व्यय का लेन–देन सम्बन्धित खाते से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि अलग–2 शीर्षकों की वित्तीय स्थिति एवं बैंक समाधान विवरण का प्रारूपण किया जा सके।

(ख) रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान उचित ढ़ंग से न करने बारेः–

नगर पंचायत द्वारा रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान उचित ढ़ंग से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति का मिलान करना कठिन है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान माह वार/नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त रोकड़ वही के अन्तशेष व वित्तीय स्थिति के अन्तशेष में ₹1658.65 के अन्तर का यथाशीध्र समाधान किया जाए तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में दर्शाई जाए।

7 निवेशः–

अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गये अभिलेख अनुसार दिनांक 31.3.2012 को निवेश की स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

क्र0सं0	एफ0डी0आर0 बैंक का नाम	दिनांक	निवेशित राशि	दर	अवधि	परिपक्वता दिनांक
1	5581 HGB SKT	15.5.11	16053	9.50%	1 वर्ष	15.5.12
2	2580 HPSCB-SKT	11.4.11	65940	9.25%	1 वर्ष	11.4.12
3	2466-1 HPSCB-SKT	26.5.11	287002	9.25%	1 वर्ष	26.5.12
4	6928 HPSCB-SKT	21.9.11	33475	9.50%	1 वर्ष	21.9.12
5	3208 HPSCB-SKT	14.7.11	312738	9.25%	1 वर्ष	14.7.12
6	2466-II HPSCB-SKT	19.7.11	754941	9.25%	1 वर्ष	19.7.12
7	6928-II HPSCB-SKT	4.8.11	31308	9.25%	1 वर्ष	04.8.12

8	3340 HPSCB-SKT	23.10.11	339004	9.50%	1 वर्ष	23.10.12
9	2320 HPSCB-SKT	26.5.11	320138	9.25%	1 वर्ष	26.5.12
		कुल योग	**2160599**			

(क) सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशि पर कम ब्याज देने के कारण नगर पंचायत को ₹0.12 लाख की वित्तीय हानिः–

जॉच के दौरान पाया गया कि हि0प्र0स0का0 बैंक सरकाघाट में नगर पंचायत की राशियों को जिस ब्याज दर पर सावधि जमा योजना में निवेशित किया गया, उस दर से कम ब्याज का क्रेडिट दिया गया। जिसके कारण नगर पंचायत को ₹11772/–की हानि उठानी पड़ी। जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	खाता सं0 दिनांक	निवेशित राशि (₹)	दर (%)	अवधि (वर्षों में)	परिपक्वता राशि (₹)	राशि जो परिपक्वता पर मिलनी चाहिए थी (₹)	जितनी ब्याज की राशि बैंक द्वारा कम दी गई
1	2580 11.7.06	45840	6.75	1.0	48942	49013	71.00
2	2580 11.7.07	48942	9.00	1.0	53356	53498	142.00
3	2580 11.7.08	53356	9.00	1.9	61773	62349	576.00
4	2580 11.4.10	61773	6.75	1.0	65940	66049	109.00
5	2466 26.5.06	197254	6.25	1.0	209574	209874	300.00
6	2466 26.5.07	209574	9.00	1.0	228421	229082	661.00
7	2466 26.5.08	228421	9.00	1.0	248964	249683	719.00

8	2466 26.5.09	248964	9.00	1.0	268866	269487	621.00
9	2466 26.5.10	268866	6.75	1.0	287002	287479	477.00
						C/F	**3676.00**
10	2466–II 19.7.06	513533	6.75	1.0	548268	549084	816
11	2466–II 19.7.07	548268	9.00	1.0	597713	599303	1590
12	2466– II 19.7.09	654613	7.5	1.0	703810	705107	1297
13	2466– II 19.7.10	703810	7.25	1.0	754941	756240	1299
14	2320 26.5.06	220024	6.25	1.0	233766	234101	335
15	2320 26.5.07	233766	9.0	1.0	254791	255526	735
16	2320 26.5.08	254791	9.0	1.0	277707	278508	801
17	2320 26.5.09	277707	8.0	1.0	299908	300599	691
18	2320 26.5.10	299908	6.75	1.0	320138	320670	532
						कुल राशि	**11772**

अतः ₹11772/–कम ब्याज देने के कारण हुई हानि का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस प्रकरण को सम्बन्धित बैंक में उठाया जाये तथा बैंक से, कम ब्याज देने का स्पष्टीकरण मांगा जाये तथा ₹11772/–की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित बैंक से की जानी सुनिश्चित की जाये। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ख) ब्याज के रूप में ₹1541/–की वित्तीय हानिः–

नगर पंचायत द्वारा विभिन्न राशियों को हि0प्र0स0का0 बैंक सरकाघाट में सावधि जमा योजना में निवेशित किया गया है। जॉच के दौरान यह पाया गया कि बैंक द्वारा खाता संख्या 2466– II माह जुलाई, 2010 में निवेशित राशि पर 7.25**%** की दर से तथा खाता संख्या 3208 माह जुलाई, 2010 में निवेशित राशि पर 6.75**%** की दर से ब्याज गया गया था। इस प्रकार एक ही माह व अवधि में एक ही बैंक शाखा में निवेशित राशियों पर अलग–2 दरों के कारण नगर पंचायत को ₹541/–ब्याज की वित्तीय हानि उठानी पड़ी। जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	खाता संख्या	दिनांक	निवेशित राशि	अवधि	दर (%)	परिपक्वता राशि	दर	परिपक्वता राशि जो होनी चाहिये	कम ब्याज दरों को ब्याज की हानि उठाई
1	2466– II	19.7.10	703810	1 वर्ष	7.25	7549.41	–	–	–
2	3208	14.7.10	292490	1 वर्ष	6.75	312738	7.25	314279	1541

इस प्रकरण को सम्बन्धित बैंक में उठाया जाये तथा कम दरों से ब्याज देने का स्पष्टीकरण मांगा जाये। अतः राशि ₹1541/–कम ब्याज दरों के कारण हुई ब्याज की वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति हेतु मामला सम्बन्धित बैंक में उठाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

8 अनुदानः–

(क) पूर्ववर्ती अवधि के दौरान बची हुई शेष अनुदान राशि बारेः–

सचिव, नगर पंचायत सरकाघाट के पत्र संख्या न0प0/सरका0/2012–2099 दिनांक 27.12.12 के अनुसार दिनांक 31.3.12 को ₹2740685/–की अनुदान राशियां व्यय नहीं की गई दर्शाई गई थी जिनका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "E" पर दिया है। परिशिष्ट के अवलोकन पर यह पाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान, उक्त लम्बित पड़ी राशियों को पूर्ण रूप में व्यय कर लिया गया था, परन्तु व्यय की गई अनुदान राशियों के

उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण व्यय की गई अनुदान राशियों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाये।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों बारेः–

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत को विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुदान राशियों की आय–व्यय की सूची इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को परिशिष्ट "F" पर दी गई है। परिशिष्ट के अवलोकन/जांच पर निम्न अनियमितताएं पाई गईः–'

(i) उपयोग की गई अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करनाः–

उपरोक्त परिशिष्ट अनुसार नगर पंचायत को अवधि 1.4.07 से 31.3.12 तक प्राप्त अनुदान राशियों में पूर्ण रूप से उपयोग की गई अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को जारी नहीं किये गये थे जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों में 31.3.12 तक खर्च की गई कुल राशि	43029231.00
(–) अंशतः खर्च की अनुदान राशियां	(–)7956898.00
(–)जितनी अनुदान राशियों के U.C. जारी किये	(–)510000
जितनी अनुदान राशियों के U.C. जारी नहीं किये गये	34562333

अतः उपरोक्त अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को शीध्र प्रेषित किये जाये।

(ii) अनुदान राशियों का उपयोग न करने बारेः–

परिशिष्ट अनुसार निम्नविवरणानुसार वर्ष 2011–12 में प्राप्त अनुदान राशियों का उपयोग नहीं किया गया था।

वर्ष	**अनुदान राशि की क्रम सं0**	**कुल राशि**
2011–12	क्र0सं0 2, 5, 10, 12, 13, 14 एवं 15	38580846.00

अतः उपरोक्त अप्रयुक्त अनुदान राशि ₹38580846/–को उपयोग नियमानुसार समयबद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.12 तक कुल ₹2054240+5606704+1721487= 9382431/– के कार्य प्रगति पर थे। अतः उक्त कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने उपरान्त, भुगतान की गई राशि अनुसार, उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किये जाने सुनिश्चित किये जाये।

9 अपने स्त्रोतों से आयः–

नगर पंचायत सरकाघाट की अपने स्त्रोतो से आय की जांच पर निम्नलिखित अभियुक्तियां पाई गईः–

(क) अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय का ब्यौराः–

अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गये अभिलेख/सूचना अनुसार नगर पंचायत द्वारा अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय का ब्यौरा निम्न प्रकार से रहाः–

वर्ष	आय जो प्राप्त की गई	गत वर्ष की आय	टिप्पणी
2007–08	1163977.00	1028773.00	(+)13**%**
2008–09	1841226.00	1163977.00	(+)58**%**
2009–10	1520161.00	1841226.00	(–)17**%**
2010–11	2206513.00	1520161.00	(+)45**%**
2011–12	2158858.00	2206513.00	(–)2**%**

उपरोक्त तालिका के अवलोकन पर यह पाया गया कि गत वर्ष की तुलना में अगले वर्ष में अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय में वर्ष 2008–09 व 2010–11 को छोड़कर अन्य वर्षों में या तो कमी दर्ज की गई या फिर मामूली सी बढ़ौतरी दर्ज की गई, जिससे यह स्पष्ट है कि नगर पंचायत प्रशासन अपने आय के स्त्रोतो को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। अतः नगर पंचायत प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि वह अपने आय के स्त्रोतों को बढ़ाने का प्रयत्न करें ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो।

(ख) ₹42.65 लाख की बकाया राशियों की वसूली हेतु कार्यवाही न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.12 को ₹4264838/–की राशि गृहकर दुकानों के किराये एवं मोबाईल टावर शुल्क के रूप में वसूली योग्य शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	शीर्ष	31.3.12 को बकाया राशि	टिप्पणी
1	गृहकर	2428483.00	परिशिष्ट "G" में वर्णित
2	दुकानों का किराया	1813855.00	परिशिष्ट "H" में वर्णित
3	मोबाईल टावर शुल्क	22500.00	परिशिष्ट "I" में वर्णित
	कुल योग	**4264838.00**	

निदेशक शहरी विकास विभाग, के पत्र संख्या ULB-H(A)-1/87-9237-9284 दिनांक 20.6.01 के अनुसार गृह कर एवं अन्य बकाया राशियों की 100**%** वसूली करने के आदेश दिये गये थे तथा विफलता पर सम्बन्धित सचिव को उत्तरदायी ठहराया जाना था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा उक्त पत्र के दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही अन्यथा दिनांक 31.3.12 को इनती अधिक राशि वसूली योग्य शेष न रहती। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि बकाया राशियों की वसूली हेतु अविलम्ब समुचित पग उठाये जायें ताकि नगर पंचायत के विकास कार्य प्रमाणित न हों।

(ग) गृह कर की नई निर्धारण सूची तैयार न करनाः–

गृहकर से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2003–04 के उपरान्त गृहकर की Assesment नहीं की गई थी, अर्थात नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2003–04 की Annual Rental Value पर ही गृहकर अधिरोपित करके वसूला जा रहा है। अतः वर्ष 2003–04 से वर्ष 2011–12 तक गृह कर की नई निर्धारण सूची तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अब हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 77 के अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) गृह कर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने के कारण ₹2.43 लाख की हानि बारेः–

निदेशक शहरी विकास विभाग (हि0प्र0) के पत्र संख्या UD-H(B)(15)-4/99 दिनांक 20.6.03 के अनुसार चालू वर्ष का गृहकर का बिल जारी करने उपरान्त 10 दिनों के भीतर कर जमा करवाने पर, कर की राशि पर 20**%** की छूट की जानी अपेक्षित थी, परन्तु निर्धारित समय अवधि पर कर की राशि जमा न करवाने पर, बकाया राशि पर 10**%** की दर से सरचार्ज लगाया जाना

अपेक्षित था। अभिलेख की जांच करने पर अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत प्रशासन द्वारा यद्यपि निर्धारित समय पर कर चुकाने पर 20% की छूट दी थी परन्तु निर्धारित समय पर कर न चुकाने पर बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज नहीं लगाया था जिस कारण नगर पंचायत को कम से कम ₹242848/–की वित्तीय हानि उठानी पड़ी। अतः सरचार्ज न लगाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा समय पर गृह कर न चुकाने वाले गृह कर दाताओं की बकाया राशि पर नियमानुसार सरचार्ज निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) निर्धारित दरो ंपर गृहकर की मांग न करने के कारण ₹11.81 लाख की वित्तीय हानि बारेः–

निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(C)(10)-7/98-II दिनांक 17.11.03 के अनुसार वर्ष 2007–08 से गृह कर की मांग 12.5% की दर से की जानी अपेक्षित थी। परन्तु अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 तक गुहकर की मांग उपरोक्त दरों के अनुसार नहीं की गई जिस कारण नगर पंचायत निधि को ₹1181848.00 की वित्तीय हानि हुई जिसका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	जिस दर से मांग की गई	मांग की गई राशि	जिस दर पर मांग की जानी थी	जितनी मांग की जानी थी	अन्तर की राशि
2007–08	7.50%	428488	12.5%	714147	285659
2008–09	7.50%	388319	12.5%	647198	258879
2009–10	7.50%	357087	12.5%	595145	238058
2010–11	7.50%	385948	12.5%	643247	257299
2011–12	10%	567812	12.5%	709765	141953
				कुल योग	**1181848**

अतः उक्त पत्र के अनुसार गृह कर की मांग न करके, कम वसूली करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(च) दुकानों के किराये की बकाया राशि पर 2% की दर से अधिभार (Surcharge) न लगाने बारेः–

किराया अनुबन्धों की जांच में यह पाया गया कि दुकानों के माहवार किराये का बिल जारी करने के उपरान्त 10 दिनों के अन्दर किराये की राशि यदि जमा नहीं करवाई जाती तो

बकाया राशि पर 2**%** की दर से अधिभार आधिरोपित किया जाना अपेक्षित था। परन्तु नगर पंचायत प्रशासन द्वारा केवल वर्ष 2007–08 में ही अनुबन्ध पत्रों के अनुसार अधिभार की राशि की मांग की गई थी, जिनका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "H" पर दिया गया है। अतः अनुबन्ध पत्रों के अनुसार वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक किराये की बकाया राशि पर अधिभार की मांग न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये। अन्यथा नगर पंचायत प्रशासन द्वारा उक्त अवधि के लिये किराया अनुबन्धों के अनुसार किराये की बकाया राशियों पर 2**%** की दर से अधिभार की मांग व वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

(छ) दुकानदारों के साथ अनुबन्ध न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा किराये पर दी गई विभिन्न दुकानों की अनुबन्ध पत्रों की जांच उपरान्त यह पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा आंबटित कुल 56 दुकानों में से दुकानदारों के साथ दिनांक 31.03.12 तक अनुबन्ध नहीं किये गये थे, जिनका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "J"** पर दिया गया है। उपरोक्त आबटित कुछ दुकानों के साथ पहले अनुबन्ध किये गये थे, जिनका बाद में नवीकरण नहीं किया गया तथा कुछ के साथ कभी भी अनुबन्ध नहीं किया गया। नियमानुसार दुकानदारों के साथ अनुबन्ध न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः नगर पंचायत को यह परामर्श दिया जाता है कि वह परिशिष्ट में वर्णित विभिन्न किरायेदारों के साथ यथाशीघ्र अनुबन्ध करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके।

(ज) ₹7.54 लाख की खोखो व रेहड़ियों के किराये की कम वसूली से हुई वित्तीय हानिः–

नगर पंचायत द्वारा खोखो को ₹20/–प्रति दिन तथा रेहड़ियों को ₹15/–प्रतिदिन की दर से विभिन्न व्यक्तियों को किराये पर दिया गया है। खोखो एवं रेहड़ियों को प्रतिदिन की दर से किराये पर देना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जॉच के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त खोखो व रेहड़ियॉ अंकेक्षण अवधि के दौरान एक ही किरायेदार के पास थी। जिससे स्पष्ट है कि सम्बन्धित रेहड़ियों व खोखो प्रतिदिन किराये की दर से न चढ़ाकर मासिक दर से किराये पर चढ़ाने अपेक्षित थें। इस प्रकार 60 नं0 खोखो व 12 नं0 रेहड़ियों का किराया मासिक दर से वसूलने की बजाय प्रतिदिन की दर से वसूलने से नगर पंचायत को ₹754424/–की

किराये की कम वसूली की वित्तीय हानि उठानी पड़ी। जिसका वर्ष वार विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार हैः—

विवरण	**वर्ष**					
	2007—08	2008—09	2009—10	2010—11	2011—12	कुल किराया
जितना किराया महीने की दर से वसूल किया जाना चाहिए था	503700	503700	503700	503700	503700	2518500
जितना किराया प्रतिदिन की दर से वसूल किया गया (परिशिष्ट "K")	(—)371698	380562	359891	335205	316720	1764076
जितनी किराये की राशि कम वसूल की गई	132002	123138	143809	168495	186980	754424

अतः ₹754424/—किराये की कम वसूली के परिणामस्वरूप नगर पंचायत को वित्तीय हानि हुई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में उक्त खोखो व रेहड़ियों का मासिक दर से किराया लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(झ) सफाई शुल्क (Saintation Fee) के रूप में ₹3215/—की कम प्राप्तिः—

सफाई शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख की जॉच उपरान्त यह पाया गया कि दिनांक 01.04.2007 से 31.03.12 तक सफाई शुल्क के रूप में ₹26270/—की राशि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है'—

अवधि	**कूपन सं0**	**कुल कूपन**	**दर प्रति कूपन**	**राशि**
01.4.07 से 23.5.09	6979 से 7000	22	20	440
	7001 से 12000	5000	20	100000

28.5.09 स 31.5.11	1 से 5000	5000	20	100000
31.5.11 से 31.3.12	1 से 200	200	20	4000
	501 से 1840	1340	20	26800
01.4.07 से 31.3.12 तक	478 से 500	23	30	690
	501 से 1512	1012	30	30360
				262290

परन्तु रोकड़ वही/सफाई शुल्क या वर्गीकृत रजिस्टर की जांच उपरान्त यह पाया गया कि सफाई शुल्क के रूप में दिनांक 01.4.07 से 31.3.12 तक कुल ₹259075/—की राशि प्राप्त की गई, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट "K" पर दिया गया है। इस प्रकार सफाई शुल्क के रूप में ₹3215/—की राशि (262290—259075) कम प्राप्त की गई है। अतः इस प्रकरण की विभागीय तौर पर छानबीन की जाये तथा कम प्राप्त की गई राशि को चूककर्ताओं से प्राप्त करके नगर पंचायत निधि खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 संस्थापनाः—

नगर पंचायत सरकाघाट द्वारा संस्थापना सम्बन्धित किए गए व्यय की जांच पर निम्नलिखित अभियुक्तियां पाई गईः—

(क) बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने बारेः—

नगर पंचायत द्वारा परिशिष्ट "L" के अनुसार उपलब्ध सूचना के अवलोकन पर यह पाया गया कि, अंकेक्षण अवधि के दौरान, संस्थापना व्यय, बजट प्रावधान से अधिक थे, जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	शीर्ष	बजट में प्रावधान	व्यय की गई राशि	अन्तर
2007—08	General	800000	1009414	209414
	Public Health	557520	627015	69495
2008—09	General	1260000	1359383	99383
	Public Health	800000	843064	43064
2010—11	General	1600000	2180815	580815

Public Health	1250000	1267574	17574
		कुल योग	**1019745.00**

अतः बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक व्यय की गई राशि ₹1019745.00 को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत करवाकर नियमित किया जाये।

(ख) गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹.36 लाख के अधिक भुगतान बारेः–

सेवा पंजिकाओं की जांच में यह पाया गया कि गलत वेतन निर्धारण के कारण निम्न वर्णित कर्मचारियों को, वेतन के रूप में ₹36403/–का अधिक भुगतान किया गया।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	अवधि	अधिक दिया गया वेतन
1	श्रीमती तृप्ता देवी (लिपिक)	26.7.07 से 30.9.12	7482
2	श्रीमती दमोद्री देवी (स0क0)	1.1.06 से 31.12.10	706
3	श्री अच्छर सिंह (चौकीदार)	1.6.08 से 15.6.08	185
4	श्री धनी राम (सेवादार)	1.1.06 से 31.12.10	706
5	श्रीमती अरूणा शर्मा(सा0स0)	17.12.12 से 30.11.12	3190
6	श्रीमती प्रेमलता (लि0)	1.2.10 से 30.9.12	9815
7	श्री दिलेर सिंह (लि0)	15.11.08 से 30.9.12	13613
8	श्रीमती कला देवी (स0व0)	1.'1.06 से 31.12.10	706
	कुल योग		**36403**

अतः उपरोक्त विवरणानुसार अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके, नगर पंचायत निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

(ग) संस्थापना पर नगर पंचायत के कुल व्यय को 1/3 भाग से अधिक व्यय करने बारेः–

हिमाचल प्रदेंश सरकार के पत्र संख्या ULB-H(A)(7)-1/87-9237-9284 दिनांक 20.6.01 के अनुसार नगर पंचायत का संस्थापना पर कुल व्यय का 1/3 भाग व्यय करना प्रस्तावित था। जांच में यह पाया गया कि नगर पंचायत प्रशासन द्वारा उपरोक्त पत्र के दिशा–निर्देशों की अनुपालना नहीं की गई, जिस कारण अवधि 1.4.07 से 31.3.12 तक संस्थापना पर ₹2378250/–का व्यय अनियमित रूप से किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	नगर पंचायत का कुल व्यय	कुल व्यय का 1/3 भाग	संस्थापना पर किया गया व्यय	अधिक व्यय
2007—08	4383784	1461261	1752206	290945
2008—09	5619902	1873300	2389067	515767
2009—10	11172554	3724185	2551406	—
2010—11	7127853	2375951	3947489	1571538
2011—12	25287277	8429092	3680620	—
			कुल योग	**2378250**

अतः उपरोक्त पत्र की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अनियमित रूप में व्यय की गई राशि ₹2378250/—को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाये।

(घ) पदों की स्वीकृति के बिना दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति करनाः—

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट "M") अनुसार नगर पंचायत में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन पदो ंके विरूद्ध कार्य कर रहे है। वह पद नगर पंचायत में स्वीकृत नहीं है। अतः पदों की स्वीकृति के बिना, दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति का औचित्य स्पष्ट किया जाये, अनियमित तौर से कि गई इस नियुक्ति को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाये। पदों की स्वीकृति के बिना कार्य कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पद नाम	नियुक्ति का वर्ष
1	श्री बख्शी राम	बेलदार	1990
2	श्री रूप चन्द	बेलदार	1990
3	श्री प्रकाश चन्द	बेलदार	1990

11 <u>व्ययः–</u>

नगर पंचायत सरकाघाट द्वारा किए गए उन व्यय की जांच पर निम्नलिखित अभियुक्तियां पाई गईः–

(क) मोबाईल चार्जिज के रूप में ₹12800/–के अधिक भुगतान बारेः–

अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि श्री ओम प्रकाश शर्मा (सचिव) को माह 8/07 से 5/11 एवं श्री अशोक कुमार शर्मा (सचिव) को माह 6/11 से 11/12 तक क्रमशः ₹400/–की दर से प्रतिमाह मोबाईल चार्जिज का भुगतान किया गया जबकि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H-(C)(7)-19/97-II-10199–10246 दिनांक 15.9.07 के अनुसार ₹200/–प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाना अपेंक्षित था। अतः निम्न विवरणानुसार उपरोक्त अधिकारियों को अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके नगर पंचायत निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्र0सं0	नाम	अवधि	वसूली की दर	राशि
1	श्री ओम प्रकाश शर्मा (सचिव)	8/07 से 5/11=46 माह	200 प्रतिमाह	9200
2	श्री अशोक कुमार शर्मा (सचिव)	6/11 से 11/2012=18 माह	200 प्रतिमाह	3600
			कुल योग	**12800**

(ख) यात्रा भत्ते के रूप में अनियमित भुगतानः–

वाऊचर संख्या 32 दिनांक 31.3.2011 ₹7493.00 द्वारा श्री ओम प्रकाश शर्मा सचिव को माह 2 व 3/11 में यात्रा भत्ता दावे के रूप में चण्डीगढ़ में यात्रा के दौरान होटल में ठहरने के फलस्वरूप ₹520/–की राशि का अनियमित भुगतान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

दिनांक	देय राशि	भुगतान की राशि	अधिक भुगतान की राशि
8.2.11	540	800	260
10.3.11	540	800	260
	कुल अधिक भुगतान की राशि		**520**

(ग) हाइड्रोलिक टिप्पर की खरीद बारेः–

निदेशक शहरी, विकास विभाग के पत्र संख्या ULB-H(F)-19-86 दिनांक 7.1.10 के अनुसार नगर पंचायत सरकाघाट को ₹550000/–की राशि हाईड्रोलिक टिप्पर के क्रय हेतु अनुदान स्वरूप प्रदान की गई। पत्र के दिशा–निर्देशों अनुसार, टिप्पर की खरीद सम्बन्धित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा की जानी अपेक्षित थी। नगर पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश संख्या NP-SKT/SANITATION/2010-136 दिनांक 29.1.10 द्वारा मैं0 बहल मोटरस मण्डी से उनके बिल नं0 BMM/00136 दिनांक 9.3.10 के अन्तर्गत EICHER COMPANY के हाईड्रोलिक टिप्पर की खरीद की गई जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(i) टिप्पर की खरीद उपायुक्त मण्डी द्वारा गठित कमेटी द्वारा न करके नगर पंचायत द्वारा अपने स्त्तर पर की गई जो कि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या ULB-H(F)-19-86 दिनांक 7.1.10 के दिशा–निर्देशों के विपरीत है।

(ii) Eicher Co. द्वारा BEHL Motor MANDI को Company के उत्पाद बेचने सम्बन्धी प्राधिकृत पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iii) नगर पंचायत द्वारा क्रय किये गये टिप्पर की मूल्य सूची (Price list) जोकि Eicher Co. द्वारा सत्यापित हो, अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।

(घ) ₹10000/–का अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान माह 3/11 के भुगतान वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत सरकाघाट द्वारा वाऊचर संख्या 14 दिनांक 16.3.2011 के अन्तर्गत मैसर्ज गुरदेव राम एण्ड सन्ज सरकाघाट को बिजली की फिटींग के सामान की खरीद पर ₹29990/– के स्थान पर गलत गणना करके ₹39990/–अर्थात ₹10000/–का अधिक भुगतान किया गया। यह मामला सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अधियाचना संख्या 164 दिनांक 15.01.2013 द्वारा सचिव नगर पंचायत सरकाघाट के ध्यानार्थ लाने पर संस्था द्वारा ₹10000/–की राशि की वसूली रसीद सं0 जी–8–2012 दिनांक 19.1.13 द्वारा फर्म से कर ली गई है हालांकि उपरोक्त जी–8 का रोकड़ वही व बैंक में जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रोकड़ वही में की गई प्रविष्टि आगामी लेखा परीक्षा में दर्शाई जाए।

(ङ) ₹80 लाख अनुदान की राशि को पार्किंग के निर्माण कार्य के लिये डिपोजिट वर्क के अनुरूप अधिशाषी अभियन्ता हिमुडा डिवीजन मण्डी में जमा करवाने के पश्चात निर्माण कार्य आरम्भ न करने कारण संस्था को ₹1605491.00 ब्याज की आय की हानि बारेः—

नगर पंचायत सरकाघाट द्वारा ₹8000000/— अनुदान की राशि निदेशक यूएलजी शिमला के पत्र संख्या यू0डी0—एचएफ(10)—2/2005 आर जी यू एफ—13459—6 दिनांक 4.12.10 द्वारा सरकाघाट में पार्किंग कार्य के निर्माण हेतु प्राप्त की गई। संस्था द्वारा उपरोक्त प्राप्त की गई अनुदान की राशि प्रस्ताव संख्या 0669 मद संख्या 3 दिनांक 8.3.2011 के अन्तर्गत अधिशाषी अभियन्ता हिमुडा मण्डल मण्डी को सरकाघाट में पार्किंग कार्य के निर्माण हेतु डिपोजिट कार्य के अनुरूप चैक सं0 8425492 दिनांक 11.4.2011 के द्वारा जमा की गई है। उपरोक्त कार्य हिमुडा मण्डल मण्डी द्वारा आज तक आरम्भ नहीं किया है। उपरोक्त जमा की गई राशि के बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या स0नि0 आडिट एल0ए0डी0—163 दिनांक 15.1.2013 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांगने पर सचिव नगर पंचायत सरकाघाट द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या एन0पी0 सरकाघाट/2013—92 दिनांक 17.01.2013 द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया कि एच0पी0पी0डब्लयू0डी0 सरकाघाट व नैशनल हाईवे डिवीजन हमीरपुर द्वारा एन0ओ0सी0 (NOC) न मिलने पर तथा साईट क्लीयर न होने पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। नगर पंचायत द्वारा किन शर्तो पर ₹80 लाख की राशि सरकाघाट में पार्किंग के निर्माण कार्य हेतु हिमुडा मण्डल मण्डी में जमा की गई अंकेक्षण को नहीं दर्शाई गई जबकि नियमों के अन्तर्गत उपरोक्त राशि को जमा करने से पूर्व साईट क्लीयर (Site Clear) होने के साथ—2 करवाये जाने वाले कार्य का पूर्व प्राकलन तथा शर्ते जिन पर निर्माण कार्य करवाया जाना अपेक्षित था स्पष्ट होनी चाहिए थी। अतः उपरोक्त शर्तों/औपचारिकताओं से पूर्व तथा कमेटी के गलत निर्णय के कारण ₹80 लाख लगभग दो वर्षों का समय बीत जाने के पश्चात भी पार्किंग का निर्माण कार्य साईट क्लीयर न होने के कारण शुरू भी नहीं हो सका है। महत्वपूर्ण औपचारिकताओं के पूर्ण किये बिना ₹80 लाख अग्रिम राशि दो वर्ष पूर्व जमा करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए यदि इस राशि को निवेश किया होता तो प्रचलित 9.25 प्रतिशत ब्याज की दर से ₹1605491.00 ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

(च) नगर पंचायत सरकाघाट द्वारा भण्डार से सीमेन्ट जारी न करने तथा मार्केट रेट पर भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹25396.00 का अधिक भुगतानः—

नगर पंचायत सरकाघाट द्वारा भण्डार से सीमेन्ट जारी न करने तथा ठेकेदार को निर्माण कार्यों में लगाये गये सीमेन्ट को मार्किट रेट पर भुगतान करने पर ₹25396.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है।

वा0सं0 व माह	कार्य का नाम	निर्माण कार्य में प्रयोग में लाई गई सीमेन्ट की मात्रा	एग्रीमैन्ट में भण्डार से जारी करने पर सीवेन्ट की दर	मार्किट रेट पर भुगतान किये गये सीमेन्ट की दर	अधिक भुगतान की राशि
26 माह 17.12.09	साईड ड्रेन एवम रास्ते का निर्माण कार्य वार्ड0 नं0 6	154 बैग	180	244	64X154=9856
35 माह 2/09	अशोक हाऊस से बावड़ी तक फुट पाथ का निर्माण कार्य	259 बैग	180	240	60X259=15540
					₹25396

उपरोक्त निर्माण कार्यो में ठेकेदार द्वारा लगाये गये सीमेन्ट की प्राप्ति (Pro-curement) से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से सत्यापित बिल भी अंकेक्षण में नहीं दर्शाये गये है तथा भण्डार में सीमेन्ट उपलब्ध हुये भी मार्किट दरों पर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अनियमित रूप से अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(छ) (1) वाऊचर संख्या 18 माह 2/09 ₹10207.00 द्वारा पंचायत कार्यालय में सफेदी का कार्य करवाने हेतु ₹10207.00 का भुगतान निम्नलिखित आयल ब्रान्ड, स्टेनर, ब्रश सफेद पेन्ट, ब्लैक पेन्ट व वुड प्राईमर इत्यादि की खरीद पर किया गया है।

क्र0सं0	कैश मेमो व माह	फर्म का नाम	भुगतान की राशि
1	6517 माह 12/08	मैसर्ज कौशल स्टील सरकाघाट	4641
2	6518 माह 12/08	–यथोपरि–	2520
3	6518 माह 12/08	–यथोपरि–	1200
4	8857 माह 12/08	–यथोपरि–	960
5	9070 माह 12/08	–यथोपरि–	400
6	9102 माह 12/08	–यथोपरि–	486
		कुल राशि	**₹10207**

उपरोक्त भुगतान की राशि से सम्बन्धित निम्न अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके बिना व्यय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(i) करवाये गये कार्य का पूर्व प्राकलन (Estimate)

(ii) माप पुस्तिका

(iii) प्रयोग किये सामान की खपत विवरणिका

अतः अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वांन्छित अभिलेख आगामी लेखा परीक्षा में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(ज) कार्य का नामः– एच0पी0पी0 डब्लयू0डी0 डिवीजन सरकाघाट के समीप दो दुकानों का निर्माण कार्य

ठेकेदार का नामः– श्री सुख राम

खर्च का स्त्रोतः– Own Source

माप पुस्तिका नं0: 8 पेज 27

वाऊचर संख्या 24 माह 4/07 ₹65612

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत सरकाघाट द्वारा ₹65612/–का भुगतान श्री सुख राम ठेकेदार को उपरोक्त दो दुकानों के निर्माण कार्य हेतु चैक सं0 1972666 माह 4/07 में दिया गया है परन्तु उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके अभाव के कारण व्यय की सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी है। अतः आवश्यक अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(i) कार्य से सम्बन्धित तकनीकी स्वीकृति (Technical Sanction)

(ii) प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति (Adminstrative a Expenditure sanction)

(iii) अनुबन्ध/एवार्ड लेटर

(iv) कार्य से सम्बन्धित टैन्डर व तुलनात्मक विवरण

(v) नगर पालिका अभियन्ता द्वारा बिल में भुगतान की स्वीकृति/सत्यापन

(झ) विभिन्न ठेकेदारों से आयकर व बिक्रीकर की कटौती न करने के कारण सरकार को ₹22131/—की आर्थिक क्षतिः—

चयनित मासों में निर्माण कार्य की जांच पर अंकेक्षण में पाया गया कि संविदाकारों के भुगतान बिलों से नियमानुसार आयकर व बिक्री कर की कटौती नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹22131 की हानि हुई है। जिसे उचित स्त्रोत से वसूल करके राशि को सम्बन्धित सरकारी कोष में जमा करवाया जाए यदि चयनित मासों के अतिरिक्त अन्य बिलों से नियमानुसार आयकर/बिक्री कर की कटौती नहीं की हो तो अपने स्तर पर पुनः जांच कर वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	राशि	भुगतान का विवरण	स्त्रोत पर काटी जाने वाली आयकर व बिक्री कर की राशि 1
1	21 दिनांक 2.1.2010	35040	बलवीर सिंह संविदाकार की हयूम पाईप की आपूर्ति व एंगल आयरन की आपूर्ति	आयकर 8100 बिक्रीकर 700
2	51 दिनांक 26.12.11	286000	श्री बलवीर सिंह ठेकेदार को सड़क की कटींग व मिट्टी को उठाने के अन्तर्गत किया भुगतान	आयकर 6578 बिक्रीकर 5720
3	6 दिनांक 2.11.12	361872	श्री वीरी सिंह ठेकेदार को सफाई के ठेके की माह 1.5. 2011 से किया गया भुगतान	आयकर 8323
				22131

(ञ) ₹74485.00 का संविदाकार को अनुचित/अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत सरकाघाट के बस स्टैन्ड से पपलोग (Paplog) गांव तक सड़क की मुरम्मत से सम्बन्धित निर्माण बिलों की जांच करने पर पाया गया कि सड़क के मुरम्मत कार्य में खुदाई स्टोन सीलींग इत्यादि की मदें शामिल थी तथा ठेकेदार को एग्रीमैन्ट की शर्तों के अनुसार उपरोक्त मुरम्मत कार्य में मद सं0 3 स्टोन सीलींग में प्रयोग होने वाले पत्थर ठेकेदार द्वारा निर्माण/मुरम्मत कार्य के स्थल तक केरीयेज (Carriage) सहित पहुंचाना सम्मिलित था व मद सं0 3 का नाम पद्धति (Nomenclaure) निम्न प्रकार से था "Stone sviling properly hand packed with filling work including carriage of matrial in all leads & lifts" इसके विपरीत ठेकेदारों को पत्थरों की ढुलाई से सम्बन्धित केरीज की मद को अतिरिक्त मद बनाकर ठेकेदारों को निम्नानुसार अधिक भुगतान किया गया जो अनुबन्ध की शर्त के अनुसार देय नहीं था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अनियमित/अदेय भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाया जाए।

क्र0 सं0	**वा0सं0**	**कार्य का नाम**	**ठेकेदार का नाम व अवार्ड पत्र सं0**	**भुगतान की अतिरिक्त मद**	**अधिक भुगतान की राशि**
1	27 दिनांक 14.12.11	बस स्टैन्ड से पपलोग तक सड़क निर्माण का कार्य	सुरेन्द्र बन्धु एनपी/वर्कस/2011–1756 –57 दिनांक 10.10.11	केरीज ऑफ स्टोन सीलिंग 147.66X185	27317
2	28 दिनांक 14.12.12	–यथोपरि–	रमेश ससवाल एन0पी0/वर्कस 2011–1754–1755 दिनांक 10.10.11	147.45X136.20	20028
3	49 दिनांक 23.12.11	–यथोपरि–	रमेश कुमार एन0पी0/वर्कस 2011–1758/59 दिनांक 10.10.11	146.39X185.40	27140
			कुल राशि		**74485**

(ट) सक्षम अधिकारी की संशोधित स्वीकृति के बिना विभिन्न निर्माण कार्यों पर ₹193656 ⁄ –का अनियमित भुगतानः–

नगर पंचायत सरकाघाट द्वारा चयनित माह 12 ⁄ 11 में करवाये गये कार्यो का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित ₹193656 ⁄ –के निर्माण कार्य के बिलों का भुगतान पर व्यय बिना संशोधित तकनीकी स्वीकृति व डेवियेशन स्टेटमैन्ट की स्वीकृति प्राप्त किये बिना किया गया यह गम्भीर अनियमितता है। अतः यह अनियमितता उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाई जानी है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृत प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

क्र0सं0	**वा0सं0 ⁄ माह**	**कार्य का नाम**	**कार्य की तकनीकी स्वीकृति व आंबटित राशि**	**कार्य पर किया गया व्यय**	**अन्तर**
1	60 माह 12 ⁄ 11	पपलोग सड़क पर पोटेक्शन वाल का निर्माण कार्य	53245	78754	25509
2	64 माह 12 ⁄ 11	सुगर हाऊस व आई0पी0एच सब डिवीजन के पास फुट ब्रीज का निर्माण कार्य	61872	151960	90088
3	67 माह 12 ⁄ 11	वार्ड नं0 2 में पदमा हाऊस से अशोक हाऊस तक सड़क का निर्माण कार्य	200211	278270	78059

(ठ) (i) रैहन बसेरा के निर्माण कार्य को लम्बे समय से पूर्ण न किया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत सरकाघाट द्वारा सरकाघाट में सरकाघाट धर्मशाला रोकड़ फोरेस्टरेन्ज के समीप रेहन बसेरा के निर्माण हेतु यूएलबी निदेशालय से निम्नानुसार ₹1891253 की राशि प्राप्त की गई है।

(i) पत्र सं0 यू0डी0एच0ई0आई0यू0एस0 / एन0एस0डी0पी0–II 100000
0743–45 बैंक ड्राफ्ट नं0 56370

(ii) यू0डी0ई0आई0यू0एस / एन0एस0डी0पी0 बी–II 0743–45 400000
बैंक ड्राफ्ट सं0 613106

(iii) यू0डी0ई0आई0यू0एस / एन0एस0डी0पी0एच0(एफ)–1(ix)–II 1391253
दिनांक 21.08.08

नगर पंचायत सरकाघाट द्वारा वर्ष 2007 के दौरान ₹500000 / –की राशि रैहन बसेरा के निर्माण हेतु पी0डब्लयू सरकाघाट अधिशाषी अभियन्ता के कार्यालय में जमा की गई परन्तु यह राशि पर्याप्त न होने के कारण पी0डब्लयू0डी0 द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तथा निदेशालय शहरी विकास द्वारा ₹1391253.00 की राशि और भेजी गई तथा पंचायत द्वारा यह भी निर्माण किया गया कि निर्माण कार्य में अतिरिक्त राशि अपने स्त्रोत से कम की जायेगी। नगर पंचायत द्वारा अपने पत्र संख्या एन0पी0एस0 / एस0के0जी0 / टैण्डर 2010–654–664 दिनांक 20.4.10 द्वारा उक्त निर्माण हेतु ₹2782276.00 का टैण्डर किये गये तथा रैहन बसेरा का निर्माण कार्य वर्ष 2010–11 तक चतुर्थ चलत बिल माप पुस्तिका सं0 15 पेज 12 के अन्तर्गत स्लैब लेबल तक ₹1747028 का निर्माण कार्य निष्पादन किया गया है तथा शेष कार्य आज दिनांक तक पूर्ण नहीं किया है तथा नगर पंचायत इतने लम्बे समय तक रैहन बसेरा के निर्माण कार्य को पूर्ण न करने बारे स्थिति स्पष्ट कि जाए तथा अनुदान की राशि को इतने लम्बें समय तक प्रयोग में न लाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त निर्माण कार्य नियमानुसार अतिशीध्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

(ठ) (ii) लोक निर्माण विभाग सरकाघाट मण्डल से ₹500000/–रैहन बसेरा के निर्माण कार्य हेतु जमा की राशि में से ₹450000/–न लौटाने बारेः–

₹500000.00 वर्ष 2007 के दौरान रैहन बसेरा के निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग मण्डल सरकाघाट को दी गई थी। नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त रैहन बसेरा का कार्य अपने स्त्तर पर किया गया। अतः लोक निर्माण विभाग से राशि भुगतान करने बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट नहीं किया जा सका। नगर पंचायत द्वारा ₹500000.00 में से केवल ₹50000(पच्चास हजार) चैक संख्या 128417 दिनांक 21.1.2013 द्वारा पी0डब्लयू0डी0 मण्डल सरकाघाट से प्राप्त की गई है तथा शेष ₹450000/–की अतिशीध्र ब्याज सहित सम्बन्धित विभाग से वसूल किए जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

12 पैन्शन/अंशदायी पैन्शन/सामान्य भविष्य निधि एवं उपदानः–

(क) अंशदायी पैन्शन निधि से ₹73000/– आहरित करने बारेः–

अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि अंशदायी पैन्शन निधि से कुल ₹73000/–की राशि आहरित की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	दिनांक	आहरित राशि	बैंक खाता सं0
1	श्री दिलेर सिंह (लि0)	13.6.11	50000	A/C No. 12257 HP SCO Bank
2	श्री राजेन्द्र कुमार (सफाई पर्यवेक्षक)	4.1.11	23000	A/C No. 12411 HPSCO Bank
	कुल योग		**73000**	

नियमानुसार अंशदायी पैन्शन निधि में से किसी भी प्रकार के अग्रिम/आहरण पर प्रतिबन्ध है। अतः ₹73000/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके सम्बन्धित अंशदायी पैन्शन निधि खातों में जमा की जानी सुनिश्चित किया जाये।

(ख) पैन्शन एवं उपदान निधि में पड़ी राशि को बचत खातों में जमा करवाने बारेः—

पैन्शन एवं उपदान निधि से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर अंकेक्षण में पाया गया कि दिनांक 31.3.12 तक उक्त निधि के ₹2508480/—बचत खाता सं0 8984 (HPSCo. Bank) में जमा करवाया गया था, यद्यपि अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार, अंकेक्षण अवधि के दौरान पैन्शन भोगी कर्मचारियों की संख्या शून्य थी। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि कर्मचारियों की सेवा निवृति की दिनांक को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाये ताकि अधिक ब्याज अर्जित करके उक्त निधि को सुदृढ़ किया जा सके।

(ग) सामान्य भविष्य निधि अंशदायी पैन्शन निधि तथा पैन्शन एवं उपदान निधि की रोकड़ वही का रखाव न करने बारेः—

नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा सामान्य भविष्य निधि एवं अंशदायी पैन्शन निधि में किये गये अंशदान को, नगर पंचायत के अंशदान सहित, कर्मचारियों के नाम से खोले गये विभिन्न/अलग—2 बैंक खातों में जमा किया जा रहा है तथा पैन्शन एवं उपदान निधि में नगर पंचायत द्वारा किये गये अंशदान को बैंक खाता सं0 8984 (HPS Co. Bank) में जमा किया जा रहा है, परन्तु उक्त निधियों के अनुरक्षण के लिये नगर पंचायत प्रशासन द्वारा, अलग से रोकड़ वहियों का रख—रखाव नहीं किया गया था जिस कारण अंकेक्षण के दौरान, उपरोक्त विभिन्न खातों में पड़ी राशियों की जांच रोकड़ वही से नहीं की जा सकी। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि उक्त निधियों के लिये अलग से रोकड़ वहियों का प्रयोग किया जाये तथा विभिन्न बैंक खातों से उनका मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(घ) बजट में अनुमानित आय का 1% के बराबर का शेयर पैन्शन/उपदान कोष में हस्तांतरित न करनाः—

नगर पंचायत द्वारा कर्मचारियों के अधिकतम वेतनमान (Maximum Time Scale) के आधार पर पैन्शन एवं उपदान निधि में 12**%** एवं 5**%** की दर से नियमानुसार अंशदान किया जा रहा है परन्तु हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या LSG—B(1)-1/79-III दिनांक 2542—K के क्रम सं0 16 के अनुसार बजट में अनुमानित आय का 1**%** के बराबर का शेयर उक्त कोष में हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त शेयर की राशि की गणना करके, उक्त कोष में हस्तांतरित की जाये।

13 (क) <u>गाड़ियों की औसत तेल खपत का निर्धारण न करवानाः—</u>

लॉग बुक्स की जांच में यह पाया गया कि गाड़ी नं0 एच0पी0—28—5082 (टिप्पर) की औसत तेल खपत 4 कि0मी0/लीटर तथा गाड़ी नं0 एच0पी0 8754 (ट्रैक्टर) की औसत तेल खपत 3 कि0मी0/लीटर प्रति माह दर्शाई गई थी, परन्तु उपरोक्त औसत तेल खपत का निर्धारण किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं करवाया गया था, जिस कारण गाड़ियों के औसत तेल खपत की सत्यतता की पुष्टि नहीं की सकी। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि गाड़ियों की औसत तेल खपत का निर्धारण सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये, तथा यदि गाड़ियों की औसत तेल खपत से कम पाई जाये तो तदानुसार अधिक प्रयोग किये गये तेल की कीमत की वसूली वर्तमान दरों के अनुसार चूककर्ताओं से की जानी सुनिश्चित की जाये।

(ख) गाड़ी नं0 एच0पी0—8754 की उपयोगिता बारेः—

गाड़ी नं0 एच0पी0—8754 की लॉग बुक की जांच में यह पाया गया कि दिनांक 18.6.10 के बाद उक्त गाड़ी को उपयो में नहीं लाया गया था जबकि नगर पंचायत को उक्त गाड़ी की Insurance/Token Tax इत्यादि के रूप में व्यय करना पड़ रहा है। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि उक्त गाड़ी को नगर पंचायत के हित में उपयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा यदि उक्त गाड़ी को खराब/अप्रयोग्य हो जाने के कारण उपयोग में लाया जाना सम्भव नहीं हो तो कमेटी गठित करके, उक्त गाड़ी को अनुपयोगी/अप्रयोग करने उपरान्त, नीलाम किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14 **(क) भण्डार वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारेः—**

जांच में यह पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान भण्डार में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जबकि नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 244 के अनुसार समस्त परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना आपेक्षित है। अतः नियमों की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में नियम 244 के अनुसार भण्डार में पड़े समस्त सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) स्थाई वस्तुओं का अन्तशेष शून्य दर्शाने बारेः–

अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि कुछ एक स्थाई वस्तुओं का अन्तशेष शून्य दर्शाया गया था, जबकि नियमानुसार स्थाई वस्तुओं का अन्तशेष तभी कम किया जाना चाहिये जब वास्तव में स्थाई वस्तु अनुपयोगी घोषित करने उपरान्त नीलाम/नष्ट कर दी जाये। उदाहरण के तौर पर Sanitation Stock Reg 2 के पृष्ठ 81 पर विभिन्न स्थानों पर Dustbins को Fix करने उपरान्त DUSTBINS का अन्तशेष शून्य दर्शाया गया यह अनियमित है। अतः विभागीय स्त्तर पर स्थाई वस्तुओं के स्टॉक की मात्रा की पुनः जांच कर सही अन्तशेष दर्शाया जाए व भविष्य में स्थाई वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टरों का रख–रखाव नियमानुसार किया जाये।

(ग) स्टॉक रजिस्टर में सफाई शुल्क खाते (Sainaitary Fee) का उचित रख–रखाव न करने बारे।

जॉच के दौरान पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर (स्टेशनरी) क्रम सं0–4 के पृष्ठ संख्या 17 पर सफाई शुल्क (कूपन) खाते में सफाई कूपनों की प्राप्तियों व निर्गमन की प्रविष्टियां की गई दर्शाई गई है, लेकिन दिनांक 27.4.11 से आगे तक उक्त खाते का रख–रखाव नहीं किया गया है। यह एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। जिसके अभाव में दिनांक 27.04.11 सें लेकर अंकेक्षण अवधि 31.03.12 तक उक्त खाते मे प्राप्त कूपनों व जारी किये गये कूपनों के स्टॉक की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त तिथि से आगे तक, उक्त खाते का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा स्टॉक रजिस्टर पर प्रविष्टि करके, प्राप्त सफाई कूपनों व जारी कूपनों की पुष्टि आगामी अंकेक्षण पर करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

(घ) स्टॉक से सीमेन्ट को खारिज करने बारेः–

सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर की जॉच उपरान्त यह पाया गया कि दिनांक 01.04.07 से 31.3.12 तक कुल 14198 सीमेन्ट बैग विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु स्टॉक रजिस्टर से खारिज किये गये थे परन्तु सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर में माप पुस्तिका (M.B) के पृष्ठ संख्या अंकित नहीं किये गये थो न ही इन्डेन्ट उपलब्ध करवाए गए जिसमें अभाव में खारिज किये गये सीमेन्ट की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर में माप पुस्तिका (M.B.) पृष्ठ अंकित किये जाये ताकि खारिज किये गये सीमेन्ट की सत्यता की पुष्टि की जा सके। अन्यथा खारिज किये गये 14198 बैग सीमेन्ट की वसूली दोगुनी दरो ंपर की जानी सुनिश्चित की जाये।

(ङ) सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर से सीमेन्ट के 26 बैग दो बार खारिज करने बारेः–

सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर की जॉच में यह पाया गया कि श्री संजय कुमार, ठेकेदार को इन्डैन्ट संख्या 300 दिनांक 07.12.2010 को सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ सं0 139 के अन्तर्गत 26 बैग ₹200/–बैग की दर से निर्गम किये गये तदोपरान्त उपरोक्त इन्डैन्ट सं0 300 दिनांक 07.12.10 के अन्तर्गत पुनः सम्बन्धित उपरोक्त ठेकेदार को 26 बैग सीमेन्ट निर्गम किया गया, जिसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ सं0 149 पर अंकित की गई थी। अर्थात एक ही इन्डेन्ट के अन्तर्गत दो बार 26/26 नं0 सीमेन्ट के बैग जारी किये गये। अतः अधिक जारी किये गये 26 बैग का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा जारी किये गये अधिक सीमेन्ट बैग 26 नं0 की वसूली Issue rate से दोगुनी दरों पर उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

वसूलियों की राशि 26 बैग सीमेन्ट 200 (issue rate)x2 10400

15 विविधः–

(क) महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टर न लगाने बारेः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत प्रशासन द्वारा, नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियमों के विपरीत कुछ महत्वपूर्ण रजिस्टर नहीं लगाये गये थे अथवा पूर्ण रूप सें तैयार नहीं किये गये थे। जिस कारण नगर पंचायत को दोहरे भुगतानों/अनावश्यक कानूनी कार्यवाहियों आदि के कारण हुई हानि की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता जो महत्वपूर्ण रजिस्टर तैयार नहीं किये गये थे उनका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–
नियमानुसार जिसे अब अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1	Property Register
2	Work register
3	Grant in aid Register
4	House taxcissesement Register
5	Cement advance register
6	T.A. Check Register
7	Medical Reimbursment Register
8	Agrement Register
9	Tender Register

(ख) अग्रिमः—

अग्रिम रजिस्टर की जांच में यह पाया गया कि दिनांक 30.1.12 को श्री अजय शर्मा (J.E.) को ₹5000/—की राशि IRDP के भवनों के शिलान्यास हेतु बतौर अग्रिम के रूप में दी गई थी। परन्तु आज दिनांक तक उपरोक्त राशि का समायोजन नहीं किया गया जो कि स्वतः ही आपत्तिजनक है। अतः नगर पंचायत प्रशासन को यह सुझाव दिया जाता है कि अग्रिम राशियों की वसूली/समायोजन हेतु नियमानुसार अविलम्ब समुचित कार्यवाही अमल में लाई जाये।

16 लधु आपत्ति विवरणीः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्षः—

नगर पंचायत के लेखाओं के रख—रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है । नगर पंचायत प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु विशेष ध्यान दें।

हस्ता—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15) V (75)/81 खण्ड—3—4123—24 दिनांक, 21.06.2013 शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :—

<u>पंजीकृत</u> 1. सचिव, नगर पंचायत सरकाघाट, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अंकेक्षण की प्राप्ति के एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

2. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला—2.

हस्ता—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "A"
पैरा–3 में सन्दर्भित

(1) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 8/81 से 12/82</u>

1	पैरा– 7 (2)	अनिर्णीत

(2) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85</u>

1	पैरा–5 (ए, बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
6	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
7	पैरा–10 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा–10 (सी)	अनिर्णीत
9	पैरा–10 (डी)	अनिर्णीत

(3) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86</u>

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत

(4) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/88</u>

1	पैरा–5	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
2	पैरा–7 (iv)	अनिर्णीत	
3	पैरा–7 (v)	अनिर्णीत	
4	पैरा–7 (viii)	अनिर्णीत	
5	पैरा–8	अनिर्णीत	

(5) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (सी)	अनिर्णीत
3	पैरा–8 (जी)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (ए)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा–10 (ए)	अनिर्णीत
7	पैरा–10 (बी)	अनिर्णीत
8	पैरा–10 (सी)	अनिर्णीत
9	पैरा–10 (डी)	अनिर्णीत
10	पैरा–10 (एफ)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 03/90

1	पैरा–5	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
2	पैरा–7 (च)	अनिर्णीत	
3	पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत	
4	पैरा–8 (क, ख)	निर्णीत	(₹8.50 रसीद सं0 1531 दिनांक 28.2.92 एवं ₹387/–रसीद सं0 3821 दिनांक 26.4.04 द्वारा जमा किये)
5	पैरा–9	अनिर्णीत	
6	पैरा–10	अनिर्णीत	
7	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत	

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 03/93

11	पैरा–5	अनिर्णीत	
12	पैरा–7 (क)	निर्णीत	(वर्तमान में अंकेक्षण सुझावानुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है)
13	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत	
14	पैरा–8 (5)	अनिर्णीत	
15	पैरा–8 (6)	अनिर्णीत	
16	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	
17	पैरा–10	अनिर्णीत	
18	पैरा–11	अनिर्णीत	
19	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत	
20	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत	
22	पैरा–13 (ख, ग)	अनिर्णीत	
23	पैरा–14 (7)	अनिर्णीत	

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/93 से 3/96

1	पैरा–5 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8 (क से छ)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (क, ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा–10 (ख, ग)	अनिर्णीत
7	पैरा–10 (घ)	अनिर्णीत
8	पैरा–10 (ङ)	अनिर्णीत
9	पैरा–10 (च)	अनिर्णीत

10	पैरा–10 (छ)	अनिर्णीत
11	पैरा–10 (ज)	अनिर्णीत
12	पैरा–10 (ञ)	अनिर्णीत
13	पैरा–10 (ट)	अनिर्णीत
14	पैरा–10 (ठ)	अनिर्णीत
15	पैरा–10 (ड)	अनिर्णीत
16	पैरा–10 (ण)	अनिर्णीत
17	पैरा–10 (त)	अनिर्णीत
18	पैरा–10 (थ)	अनिर्णीत
19	पैरा–10 (द)	अनिर्णीत
20	पैरा–10 (न)	अनिर्णीत
21	पैरा–10 (प)	अनिर्णीत
22	पैरा–11	अनिर्णीत
23	पैरा–12	अनिर्णीत
24	पैरा–13 (1, 2)	अनिर्णीत
25	पैरा–14 (i से xii)	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 03/2001

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा–13 (क) (1 से 4)	अनिर्णीत
7	पैरा–13 (ग) (क से ग)	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/01 से 03/2007

1	पैरा–1	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹33000/–बैंक ड्राफ्ट सं0 1941392 दिनांक 8.9.08

			द्वारा प्रेषित किये गये
2	पैरा–2 (ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अग्रेनीत
3	पैरा–2 (ग) (2) (i से iii)	निर्णीत	(i) पैरा पुनः प्रारूपित (ii) अंकेक्षण सुझावानुसार रजि0 लगा दिया गया है (iii) ₹119078/–की प्रविष्टि कैश बुक में देखने उपरान्त।
4	पैरा–4 (i)	निर्णीत	Liquer cess की प्राप्ति वर्तमान में की जा रही है
5	पैरा–4 (ii)	निर्णीत	पैरा अपडेटिड
6	पैरा–4 (iii)	निर्णीत	पैरा अपडेटिड
7	पैरा–4 (iv)	निर्णीत	पुराने सामान की नीलामी की जा रही है जिसकी पुष्टि कर ली गई है
8	पैरा–4 (v)	निर्णीत	अंकेक्षण सुझावानुसार वर्तमान में कार्यवाही की जा रही है।
9	पैरा–4 (vi)	निर्णीत	मोबाईल टावर शुल्क की वसूली की जा रही है।
10	पैरा–5 (i)	निर्णीत	वांन्छित अभिलेख के अवलोकन उपरान्त
11	पैरा–5 (ii)	निर्णीत	₹5470/–की राशि पैन्शन/उपदान निधि से निकाल कर नं0प0 निधि में डाल दिये गये है।
12	पैरा–5 (iii)	निर्णीत	₹213/–की राशि रसीद सं0 2015 दिनांक 22.1.13 द्वारा की।
13	पैरा–5 (iv)	निर्णीत	₹299/– की राशि की वसूली रसीद सं0 2016 दिनांक 22.1.13 द्वारा की।
14	पैरा–5 (v)	निर्णीत	₹195 की वसूली रसीद सं0 2017 दिनांक 22.1.13 द्वारा की।

15	पैरा–6	निर्णीत	₹441/–की राशि रसीद सं0 2631 दिनांक 8.6.01 द्वारा जमा किये गये।
16	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत	
17	पैरा–7 (ii)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
18	पैरा–7 (iii)	निर्णीत	₹257/–की वसूली M.B. No. 10 पृष्ठ 26 द्वारा की
19	पैरा–7 (iv)	निर्णीत	₹222/–की वसूली M.B. No. 10 पृष्ठ 26 द्वारा की।
20	पैरा–7 (v)	अनिर्णीत	
21	पैरा–7 (vi)	अंशतः निर्णीत	₹1000/– की वसूली M.B. 9 पृष्ठ 95 द्वारा की
22	पैरा–7 (vi)	अंशतः निर्णीत	₹105/–की वसूली रसीद सं0 2021 दिनांक 22.1.13 द्वारा की।
23	पैरा–7 (vii)	अनिर्णीत	
24	पैरा–7 (viii)	अनिर्णीत	
25	पैरा–7 (ix)	अनिर्णीत	